सं०सं०-6/एस०/06(वित्त)-01/2007........636

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक 8-3-07

प्रेषक,

शिवशंकर तिवारी,
उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड, राँची ।

विषय:- सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्थापना उपसमाहर्त्ता, राँची के पत्रांक-104 (1) स्था0, दि0-27.02.2007 के प्रसंग में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0-5207, दि0-14/08/2002 के द्वारा राज्य के ग्रुप बी0, सी0 एवं डी0 कर्मियों को केन्द्र के अनुरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया है ।

उक्त संकल्प की कंडिका-3 (x) में अधोलिखित प्रावधान है :-

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन सरकारी सेवक को उसके सम्वर्ग के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्त्तमान पद-श्रृंखला के वेतनमानों में मिलेगा और इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायगा । परंतु एकल पद एवं ऐसे पद/पद समूह/सम्वर्ग जिसमें विशिष्ट रूप से पद सोपान नहीं बने हुऐ है और सीधे राज्य सेवा/सम्वर्ग में कुछ प्रतिशत पद ही प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है, उनके संबंध में सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-I में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरंत बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा ।

3. वित्त विभाग के संकल्प सं0-284/वि0, दि0 5/2/2007 के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 5207/वि0, दि0 14/08/2002 की कंडिका-3(x) के चिन्हित अंश को विलोपित कर दिया गया है ।

4. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-5207/वि0 दि0-14/08/2002 की कंडिका-3(x) का अंश "इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन सरकारी सेवक को उसके सम्वर्ग के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्त्तमान पद-श्रृंखला के वेतनमानों में मिलेगा और इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं कियां जायेगा"-यथावत् है । इस तरह किसी भी सेवा सम्वर्ग के कर्मियों को क्रमशः 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की नियमित और लगातार सेवा के

54 (845)

उपरांत प्रथम एवं द्वितीय उन्नयन का लाभ इसी के अनुरूप अनुमान्य होगा । तत्संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सुस्पष्ट है ।

सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के क्रम में अनेक विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की जाती है कि सम्वर्ग विशेष के कर्मियों को किस वेतनमान में वित्तीय उन्नयन देय होगा । संकल्प-5207/वि0 दि0 14/08/2002 में किए गये प्रावधान के अनुसार यह स्पष्ट है कि 12/24 वर्षों की लगातार एवं नियमित सेवा के पश्चात् किसी भी कर्मी को ए0सी0पी0 के तहत् प्रथम/द्वितीय उन्नयन उसके संवर्ग के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्त्तमान पद-श्रृंखला के वेतनमान में मिलेगा अर्थात जिस सम्वर्ग की प्रोन्नति की जो पद-श्रृंखला होगी उसी में वित्तीय उन्नयन देय होगा । सम्वर्ग नियमावली का निर्माण, प्रोन्नति के लिये, पदों का चिन्हीकरण एवं पद सोपान का निर्धारण का दायित्व प्रशासी विभाग का है । यह वित्त विभाग के संकल्प सं0 660/वि0(2) दि0 8/2/99 में पूर्व में ही सुस्पष्ट किया जा चुका है । पदों के चिन्हीकरण एवं पद-सोपान के निर्धारण की सारी कार्रवाई प्रशासी विभाग के स्तर पर ही की जानी है । उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि ए0सी0पी0 योजना से संबंधित निर्गत सभी वित्त विभागीय संकल्प स्वतः स्पष्ट है । इनके आलोक में कार्रवाई की शक्ति प्रशासी विभाग को ही प्रदत्त है । अतएवः जहाँ कहीं भी स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो वह प्रशासी विभाग से ही प्राप्त किया जाये ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 8.3.07

(शिवशंकर तिवारी)
उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

ज्ञापांक........636/वि........, राँची, दिनांक.........8.3.07

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड, राँची, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 8.3.07

(शिवशंकर तिवारी)
उपसचिव, वित्त विभाग,
झारखंड, राँची ।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक-4/वि.1-117/04- 2150 राँची, दिनांक- 22.5.0

प्रति0- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/दुमका/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

ह0/- (अनिल कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव

22/6